

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: एफ.10(क)(चुनाव) ()/डीएलबी/19/11893


दिनांक: 5/11/2019

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (वर्ष 2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 6 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार विभागीय अधिसूचना क्रमांक प.10 (क) (चुनाव)/डीएलबी/19/1523-2194 दिनांक 10.06.19, क्रमांक 10476, 10741 एवं 11001 दि. 18.10.19 एवं 6901 दिनांक:29.07.19 की निरन्तरता में जनगणना वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर राज्य में नवगठित नगर निगमों के संबंध में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिक्रमित करते हुये राज्य की नवगठित नगर निगमों में होने वाले चुनाव हेतु राज्य सरकार द्वारा सीटों/वार्डों का निर्धारण एवं वर्गीकरण निम्न अनुसूची के अनुसार किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम नगर निकाय	निगम/परिषद/पालिका	कुल सीटा / वार्डों की संख्या	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य पिछडा वर्ग			सामान्य वर्ग		
				कुल वार्डों की संख्या	सामान्य वार्डों की संख्या	महिला वार्डों की संख्या	कुल वार्डों की संख्या	सामान्य वार्डों की कुल संख्या	महिला वार्डों की संख्या	कुल वार्डों की संख्या	सामान्य वार्डों की संख्या	महिला वार्डों की संख्या	कुल वार्डों की संख्या	सामान्य वार्डों की संख्या	महिला वार्डों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
जयपुर संभाग															
1.	जयपुर हैरिटेज	निगम	100	11	7	4	3	2	1	21	14	7	65	44	21
2.	जयपुर ग्रेटर	निगम	150	20	13	7	7	5	2	32	21	11	91	61	30
जोधपुर संभाग															
3.	जोधपुर उत्तर	निगम	80	12	8	4	2	1	1	17	11	6	49	33	16
4.	जोधपुर दक्षिण	निगम	80	9	6	3	1	1	.	17	11	6	53	36	17
कोटा संभाग															
5.	कोटा उत्तर	निगम	70	16	11	5	4	3	1	15	10	5	35	23	12
6.	कोटा दक्षिण	निगम	80	12	8	4	4	3	1	17	11	6	47	32	15

राज्यपाल की आज्ञा से



(उज्जवल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: एफ.10(क)(चुनाव)()/डीएलबी/19/ 11894 — 11930

दिनांक: 5/11/2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर/
4. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान।
5. सचिव/उपसचिव राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय जयपुर राजस्थान।
6. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (जयपुर जोधपुर, कोटा) राजस्थान।
7. उपनिदेशक(क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान
8. अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को राज. राजपत्र के भाग 6(क) के आगामी असाधारण अंक में शीघ्र प्रकाशनार्थ। कृपया 50 प्रति भिजवाने का श्रम करें।
9. महापौर/आयुक्त/उपायुक्त समस्त नगर निगम (नगर निगम जयपुर हैरिटेज, जयपुर ग्रेटर, नगर निगम कोटा उत्तर/कोटा दक्षिण, नगर निगम जोधपुर उत्तर/जोधपुर दक्षिण) राजस्थान।
10. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी